न्यायालय, सब–जज तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0 नं0– 20/2016

06.09.2022

उभय पक्ष की हाजिरी है। प्रस्तुत वाद वादी की ओर से दिए गए आवेदन धारा–151 सी.पी.सी. दिनांक–15.10.2019 पर उभय पक्षों के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद के साथ–साथ मुकदमा सं0–187/16 भी इस न्यायालय में चल रहा है दोनों मुकदमा में मुदई एवं मुदालय एक ही है तथा दोनों ही मुकदमा में जो विवाद का प्रश्न है वह समान है। दोनों मुकदमा में मुदई ने मुदालय सं0–1 द्वारा मुदालय सं0–2 को मुदई के हिस्से की जमीन के बिक्री के खिलाफ वाद लाया गया है। उनका कहना है कि इन दोनों वादों में तिथियां एवं दावा समान है। मुकदमे का तथ्य एवं नेचर समान होने के कारण वाद में विवादित तथ्य भी समान होंगे। अतः विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में चल रहे मुकदमा सं0–20/16 एवं 187/16 को एनालग्स करने की प्रार्थना करते हैं।

प्रतिवादी के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उएपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान इन्होंने वादी के दिए गए आवेदन पत्र का समर्थन किये हैं तथा दोनों वादों को एनालग्स चलाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी जगदीश सिंह, जगनारायण सिंह, जय नारायण सिंह ने यह वाद मुदालय बिरेन्द्र राय एवं अमित कुमार उपाध्याय के विरूद्ध केवाला दिनांक 05.12.2015 को जाली, शून्य दस्तावेज साबित कराने हेतू दाखिल किया गया है। इस प्रकार वाद सं0–187/16 में उपरोक्त वादी द्वारा मुदालय के पक्ष में दिनांक 07.01.2016 रजिस्ट्री दस्तावेज केवाला सं0–246 नबिस्ते मुदालय सं0–1 बिरेन्द्र राय व मुदालय सं0–2 अमित कुमार उपाध्याय व रजिस्ट्री दस्तावेज सं0–1656 दिनांक–06.02.2016 नबिस्ते मुदालय सं0–1 बिरेन्द्र राय व मुदालय सं0–2 अमित कुमार उपाध्याय को जाली, फरेब शून्य तथा इसके पावन्दी मुदई पर नहीं है कराने हेतु लाया गया है। वादी ने इन दोनों विवादों में मुदालय के पक्ष में निस्पादित किए गए केवाला शून्य कराने हेतू लाया गया है। दोनों मुकदमे के तथ्य एवं दावा समान प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन दिनांक 15.10.2019 को स्वीकृत कर दोनों अभिलेखों को एनालग्स के रूप में चलाये जाने की अनुमति दिया जाता है।

दिनांक–.27.09.2022 वास्ते सुनवाई।

लेखापित
Sd/-
सब–जज, तृतीय,